

कार्यालय सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
वाराणसी

पत्रांक

65

/ I.C.B

दिनांक

16.5.18

सेवा में,

प्रबन्धक,
स्मार्ट विजन स्कूल,
गौराकला, चिरईगाँव,
जिला वाराणसी।

विषय :- नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अन्तर्गत आख्या/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक-शून्य, दिनांक 25.04.2018


महोदय,

संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आपके विद्यालय स्मार्ट विजन स्कूल गौराकला चिरईगाँव, वाराणसी (कक्षा-1 से 10) तक सी0बी0एस0ई0 बोर्ड की मान्यता हेतु जाँच करायी गयी।

नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अन्तर्गत अनापत्ति संलग्न प्रोफार्मा में संस्तुति सहित

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
वाराणसी


SMART VISION SCHOOL,
Gaurakalan, Chirgaon, Varanasi


विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई० विद्यालय (कक्षा 6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र. सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
	भवन की चेकलिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	नहीं
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000वर्गमी०) है?	6075 वर्गमी०
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ/नहीं
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	हाँ
9	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ/नहीं
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं?	हाँ
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक हैं?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठण्डे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मि०मी० ट्रेड 300 मि०मी० तथा सइजर 150 मि०मी० है?	हाँ

19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे है?	संवर्धित
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	है
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	है
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है?	है


 अणु अभियन्ता
 प्रान्तीय स्तर, लो० नि० वि०
 वाराणसी


 सहायक अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
 वाराणसी